न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 603 सन 2018

अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर। वादी

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. जगदीश पुत्र मामचंद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रामेती पुत्री मामचंद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. मामचदं पुत्र रामजस जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 09/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा च्क 7 बारानी के खाता संख्या 86/88 के प0न0 0 किला न0 0/53 की 0.1010हैक, गै0मु0रास्ता प0न0 385/409 (174) के किला न0 11 ,20 ता 22/1.0120हैक , प0न0 384/409 (175) के किला न0 15 ता 17 व किला न0 24 ,25 /1.1880हैक , प0न0 384/410(214) के किला न0 4 ,5/0. 4610हैक प0न0 385/410(215) किला न0 1 ता 3/0.759हैक कुल 3.5410हैक भूमि पूर्व में वादी के दादी के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिस उसका पुत्र जगदीश एवं जगदीश के दो पुत्र रामकुमार एवं गोविन्दराम है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मध्य बाहमी बटवारा होने पर वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है इसलिये वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी की दादी चन्द्रावली के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है तथा वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है एवं वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि चन्द्रावली के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 की बहन है वादी की दादी चन्द्रावली का देहान्त हो चुका है जिसके एक पुत्र जगदीश प्रतिवादी संख्या 2 है एवं प्रतिवादी संख्या 2 के दो पुत्र रामकुमार व गोविन्दराम है इसप्रकार चन्द्रावली के नाम दर्ज भूमि के जायज व कानुनी वारिसन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है तथा वादी का कथन है कि वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की भूआ एवं दादा है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने बाहमी बटवारा करने पर वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 86/88 में दर्ज 3.5410हैक भूमि में चन्द्रावली का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official